न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी ,बुण्डू(राँची)

वाद सं0– M-20/2017

धारा–144 द०प्र०सं०

निलकंठ हजाम.....प्रथम पक्ष

बनाम

डुटु स्वाँसी वगैरह.....द्वितीय पक्ष

आदेश

28·10·2017

प्रस्तुत वाद थाना प्रभारी तमाड़ के जाँच प्रतिवेदन के आलोक में निम्न जमीन पर दण्ड प्रकिया संहिता की धारा–144 के तहत कार्यवाही प्रारंभ किया गया। विवादित जमीन को लेकर उभय पक्ष को अपना–अपना कारण पृच्छा दाखिल करने हेतु नोटिस निर्गत किया गया।

विवादित जमीन का विवरण

मौजा –कुन्दला, थाना – तमाड़

खाता नं0	प्लॉट नं0	रकवा	चौहदी
101	980	43 डी0	उ०–स्व0 अर्जून महतो का खेत द०–नीज दोनों पक्ष का संयुक्त भूमि पू०–कनक सिंह मुण्डा का खेत प०–स्व0 अर्जून महतो का खेत

प्रथम पक्ष कि ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता अपने कारण पृच्छा में उल्लेख किये है कि विवादित जमीन पर प्रथम पक्ष का नौ अर्जून का पेंड़ है, जिसको द्वितीय पक्ष के द्वारा छः पेड़ को काट डाला है एवं एक को आधा काटा गया है। विदित हो कि उक्त नौ अर्जून का पेड़ प्रथम पक्ष को पुराना घर, खपड़ा पोश मकान हिस्सा में मिलने के कारण खपड़ा पोश की मरम्मति के लिए मिला था, जिसका संपुष्टिकरण ग्राम पंचायत कुन्दला, तमाड़ के मुखिया सुशिल कुमार नाग के द्वारा दिनांक 02.05.2017 को किया गया, जिसका आदेश दिनांक 20.07.2047 को फैसला आया। अतः विपक्षी को नौ अर्जून के पेड़ को नजायज तरिके से काटने के आरोप मेंदण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा–144 के तहत प्रतिबंधित करने हेतु अनुरोध किया गया है।

द्वितीय पक्ष के द्वारा अपने कारण पृच्छा में उल्लेख किया गया है कि द्वितीय पक्ष के कमांक 02,03 एवं 04 को विवादित जमीन पर नौ अर्जून का पेड़ हिस्सा में प्राप्त हुआ है। द्वितीय पक्ष के कमांक 01 को विवादित जमीन से कोई लेना देना नहीं है। द्वितीय पक्ष के कमांक 02,03 एवं 04 ने नौ अर्जून का पेड़ मे से छः अर्जून का पेड़ को काट लिया गया है। प्रथम पक्ष परेशान करने के नियत से मुकदमा दायर किया गया है। उन्होने दण्ड प्रकिया संहिता की धारा–144 के तहत द्वितीय पक्ष के हित में रिक्त किया जाय एवं इसी नियम पर प्रथम पक्ष के विरूद्ध में प्रतिबधित करने हेतु अनुरोध किया गया है।

उभय पक्ष के बहस को सुनने एवं पुलिस प्रतिवेदन ,दाखिल किये कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्ष के कमांक 02,03 एवं 04 में विवादित जमीन पर अवस्थित अर्जून के पेड़ को काटने एवं बंटवारें से संबधित मामला बँटवारा संबंधी प्रतीत होता है। द्वितीय पक्ष के कमांक–01 का विवादित जमीन से कोई लेना देना नहीं है। अतएव दण्ड प्रकिया संहिता की धारा–144 के तहत आदेश पारित किया जाना उचित प्रतीत नहीं है।

2017

अतः वाद को बिना प्रभावी आदेश पारित किये समाप्त किया जाता है। आहत पक्षकार सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर सकते है।

लेखापित एवं संशोधित

28/10/17

अनुमण्डल दण्डाधिकारी
बुण्डू।

28/10/17

अनुमण्डल दण्डाधिकारी
बुण्डू।

Digitally signed by Ajay Kumar Saw
Date: 2023.03.18 11:18:17 +05:30
Location: 10.93.79.10